Polity

न्यायाधीशों का कार्यकाल [Tenure of Judges]

→ 62 वर्ष की आयु (Age of 62 years) ⇒ अधिकतम आयु (Maximum Age)

→ त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति को देते हैं।

न्यायाधीशों का हटाया जाना (Removal of Judges)

→ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह हटाया जाता है।

Art. 219 ⇒ शपथ (oath) - का प्रारूप (Draft) ⇒ Schedule - 3

↳ शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलायी जाती है।

Art. 221 ⇒ न्यायाधीशों का वेतन ⇒ राज्य की संचित निधि से दिया जायेगा लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

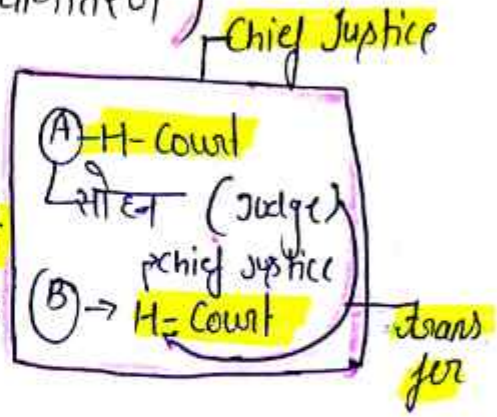
Salary (वेतन) → मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) ⇒ 2,50,000 रु

→ अन्य " (other ") ⇒ 2,25,000 रु

Transfer of Judges (न्यायाधीशों का स्थानांतरण)

Art. 222

↳ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतर * राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है लेकिन S. Court के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of Supreme Court) से परामर्श के बाद।



→ Chief justice of H. Court (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश)

न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध [Restriction on Judges]

वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य (Plead or act) नहीं करेगा (अनु. 220)।

He shall not plead or act before any Court or authority except the Supreme Court and other High Courts' (Article 220)

Ex ⇒ मोहन → H. Court (Judge) ⇒ Retire

↳ S. Court में कार्य कर सकते हैं।

↳ अपने अलावा, उन H. Court को छोड़कर जिनमें यह कार्य कर चुके हैं, अपने अलावा दूसरे H. Court में कार्य कर सकते हैं।

प्रयागराज H. Court X
कलकत्ता H. Court X
चेन्नई H. Court X

अधीनस्थ न्यायालय में कार्य → नहीं कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

Powers of H. Court – ① Art. 226 → मौलिक अधिकारों की सुरक्षा
② न्यायिक पुनर्विलोकन
③ Art. 215 - अभिलेख न्यायालय
④ अपीलीय क्षेत्राधिकार (Apellate jurisdiction)
↳ H. Court अपने अधीनस्थ न्यायालयों (Supordinate Court) के निर्णय के विरूद्ध (Against of Judgement) अपील सुनता है
↳ दीवानी मामले (Civil Matters), फौजदारी मामले (Criminal Matters) राजस्व मामले
↳ Revenue Matters

→ ऐसे कितने H. Court है जो एक से अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश पर अपना क्षेत्राधिकार (jurisdiction) रखते है-

① मुम्बई H. Court ⇒ गोवा, दादर नगर हवेली & दमन दीव, महाराष्ट्र
② कोलकाता H. Court ⇒ पं. बंगाल, अंडमान & निकोबार

23 March 2013

③ गुवाहाटी H-Court ⇒ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश

④ केरल H-Court → केरल, लक्षद्वीप

⑤ पंजाब और हरियाणा H-Court → पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़

⑥ चेन्नई H-Court ⇒ तमिलनाडु, पुदुचेरी।

26 March 2013

- मेघालय H-Court
- (23) — मणिपुर H-Court
- (24) — त्रिपुरा H-Court

25 March 2013

अधीनस्थ न्यायालय
Subordinate Court

→ Part (VI) भाग-6

→ Art. 233 - 237

⇒ H-Court के अधीन (under) और उसके नियंत्रण (control) में कार्य करने वाले न्यायालयों को संविधान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Court) कहा जाता है।

⇒ अधीनस्थ न्यायालय, जिला स्तर (District level) का न्यायालय होता है।

⇒ जिला न्यायालय (District Court)- Classification वर्गीकरण-

- 3 भागों में
 1. दीवानी न्यायालय (Civil Court
 2. फौजदारी न्यायालय (Criminal Court)
 3. राजस्व न्यायालय (Revenue Court)